भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 96B/2017–18

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

1.रामाकांत महतो 2. धनीराम महतो.............................आवेदक / विक्रेता

बनाम

देवाशीष महतो..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
20-02-2020		

विक्रेता का नाम एवं पता :–	1.रामाकान्त महतो 2. धनीराम महतो पिता दिनेश चन्द्र महतो, ग्राम–गोपीनाथपुर, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–कुर्मी।
क्रेता का नाम एवं पता :–	देवाशीष महतो पिता ननकु प्रसाद महतो, ग्राम–बड़गाँव, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 29.06.2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता देवाशीष महतो पिता ननकु प्रसाद महतो, ग्राम–बड़गाँव, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बिकानीपुर	78	5	76 / अं0	0.04ए0
			79 / अं0	0.03.71ए0
			कुल –	**0.07.71ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 1868 दिनांक 29.09.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेताओं के पैतृक सम्पत्ति है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेताओं के पास रकवा–2.35 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. विक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

लगातार.............2

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1.रामाकान्त महतो 2. धनीराम महतो पिता दिनेश चन्द्र महतो, ग्राम–गोपीनाथपुर, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता देवाशीष महतो पिता ननकु प्रसाद महतो, ग्राम–बड़गाँव, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा– 0.07.71ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

30/02/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।